न्याय- ज्ञान का स्रोत

B.A I (Hons) Paper I

न्याय दर्शन का प्रणेता महर्षि गौतम को माना जाता है। न्याय-दर्शन के ज्ञान का आधार न्याय सूत्र कहा जाता है। एक-एक प्रकरण में भी गौतम को न्याय का प्रवर्तक माना है। न्याय सूत्र न्याय दर्शन का प्रथम ग्रंथ माना जाता है

न्याय के प्रमाणशास्त्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने को प्रमाण कहते हैं। वात्स्यायन के अनुसार जिसके द्वारा प्रमाता तथा प्रमेय (जानने वाला तथा जिसे जाना जाये) का ज्ञान प्राप्त करता है उसे प्रमाण कहते हैं। न्याय दर्शन में प्रमाणों की संख्या चार बतलायी गयी है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान

① प्रत्यक्ष प्रमाण — न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष पहला प्रमाण है। महर्षि गौतम ने इन्द्रिय जन्य ज्ञान को कहा है लेकिन वो ही ज्ञान जो भ्रम, संशय से रहित हो प्रत्यक्ष ज्ञान संदेह रहित होता है। इसके लिए किसी भी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि यह स्वयं निर्विवाद है ("प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्") प्रत्यक्ष स्वतंत्र एवं निरपेक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष दो शब्दों से बना है। प्रति + अक्ष से बना है प्रति का अर्थ होता है सामने तथा अक्ष का अर्थ होता आँख अर्थात हमारे आँख के सामने जो ज्ञान मिलता है प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं किन्तु यह प्रत्यक्ष का संकुचित अर्थ है क्योंकि हमारी ज्ञान इन्द्रियां पाँच हैं आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इनमें से किसी के द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष

ज्ञान कहलाता है आँख से देखकर, कान से सुनकर नाक से सूँघ कर, त्वचा से छूकर से प्राप्त ज्ञान तथा जीभ से स्वाद के द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान की [illegible] है

"इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम् ज्ञान प्रत्यक्षम्" अर्थात् इन्द्रिय और विषयों के सन्निकर्ष से प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं

(2) अनुमान — अनुमान ज्ञान का दूसरा स्रोत है अनुमान दो शब्दों के मेल से बना है अनु + मान। अनु का अर्थ है पश्चात् तथा मान का अर्थ है ज्ञान। इस तरह अनुमान का अर्थ है बाद में होने वाला ज्ञान। इसका ज्ञान प्रत्यक्ष के आधार पर ही होता है क्योंकि धुएं के आधार पर अग्नि का ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिए गौतम मुनि ने अनुमान को 'तत्पूर्वकम् प्रत्यक्ष मूलक' कहा जाता है [struck] जिसमें [struck] अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अनुमान का आधार व्याप्ति है क्योंकि बिना व्याप्ति के अनुमान करना संभव नहीं। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है यही साहचर्य नियम है जिसे हम व्याप्ति कहते हैं उपर्युक्त उदाहरण में धुएं के साथ अग्नि का नियत साहचर्य है क्योंकि धुआँ सदैव अग्नि के साथ मौजूद है इसलिए धुआं तथा अग्नि का हेतु साध्य रहना अनिवार्य है। वास्तविक रूप से नैयायिक सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं जो साध्य के साथ हमेशा मौजूद रहे।

चार्वाक दर्शन इसे खंडन करते हैं क्योंकि व्याप्ति का सम्बन्ध प्रत्यक्ष के आधार नहीं होता है अनुमान के लिए कम से कम तीन वाक्य का होना जरूरी है पक्ष, साध्य एवं हेतु। पक्ष अनुमान का वह अवयव है जिसके सम्बन्ध में अनुमान किया जाता है पर्वत पर

जैसे सत्कानुमान में पर्वत पक्ष होता है जिसके बारे में अनुमान किया जाता है। जो प्रमाणित किया जाता है
साध्य - पक्ष के सम्बन्ध में जो प्रमाणित किया जाता है उसे साध्य कहते हैं
हेतु - जिसके द्वारा पक्ष में साध्य को बतलाया जाता है

(3) उपमान - न्याय दर्शन में उपमान को एक ज्ञान के साधन के रूप में माना गया है उपमान के द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमिति कहते हैं मान लें कि किसी व्यक्ति को नील गाय का ज्ञान नहीं है लेकिन कोई विश्वासी व्यक्ति कहता है कि नील गाय गाय के सदृश है, फिर जब वह जंगल में जाता है और उस पशु को देखता है तो तुरन्त समझ लेता है कि यह पशु नील गाय है यह ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्त होने के कारण उपमिति कहलाता है। न्याय दर्शन में उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है

(4) शब्द - न्याय दर्शन में किसी विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को शब्द ज्ञान कहते हैं विश्वासी व्यक्ति को आप्त-पुरुष कहा जाता है, कोई व्यक्ति आप्त-पुरुष तभी होता है जब उसके ज्ञान यथार्थ हो। न्याय - न्याय शब्द को दो प्रकार के मानते हैं लौकिक तथा वैदिक मनुष्य के वचन लौकिक है तथा वेद के रचयिता आप्त पुरुष के द्वारा किया गया है इस लिए इसे वैदिक वाक्य कहते हैं